

गोबिन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
पन्तनगर फार्म पोस्ट-हल्दी
जिला-ऊधम सिंह नगर, पिन-263146

निविदा-प्रपत्र

निविदा सं०:

: निविदा शुल्क ₹ 1000.00 + जी०एस०टी० प्रति निविदा अतिरिक्त

निविदा प्रपत्र फार्म मुख्यालय से प्राप्त करने की तिथि व समय

: दिनांक 25.02.2019 से 25.03.2019 तक कार्य दिवस में सांय 5.00 बजे तक

निविदा प्रपत्र जमा करने की अन्तिम तिथि, समय एवं स्थान

: दिनांक 26.03.2019 अपरान्ह 1.00 बजे तक फार्म निदेशालय हल्दी

निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि, समय एवं स्थान

: दिनांक 26.03.2019 अपरान्ह 3.00 बजे फार्म निदेशालय हल्दी

विश्वविद्यालय फार्म पर लगभग 519.93 है० भूमि एवं शैक्षणिक डेरी फार्म की 56.60 है० भूमि वास्तविक पैमाईश के आधार पर कृषि कार्य हेतु तीन वर्ष (दिनांक 01.06.2019 से 31.05.2022) तक की अवधि के लिए लाइसेंस शुल्क पर देने हेतु दरें ₹ प्रति है०/प्रतिवर्ष दर्शानी होगी।

क्र०सं०	लाट सं०	खण्ड	खेत सं०	क्षेत्रफल (है०)	दर प्रतिवर्ष प्रति हैक्टेयर
हल्दी प्रक्षेत्र (तीन वर्ष हेतु)					
1.	1	एच	143, 150	22.40	
	2	एच	144	30.00	
2.	3	आई	145	9.10	
	4	आई	150, 151	19.50	
	5	आई	152, 157	19.50	
	6	आई	147	8.80	
3.	7	जे	156	17.25	
	8	जे	168	8.47	
	9	जे	172	20.73	
	10	जे	170	18.75	
	11	जे	173	16.40	
	12	जे	174	15.10	
4.	13	के	182	10.80	
	14	के	184	8.80	
	15	के	185	9.80	
	16	के	186	15.00	
	17	के	188	11.40	
(अ) योग				261.80	
बेनी प्रक्षेत्र (तीन वर्ष हेतु)					
5.	18	एन	269, 272	15.60	
	19	एन	252ए, 252बी, 256, 257	33.70	
6.	20	ओ	261, 282, 276	29.00	
7.	21	पी	277	9.50	
	22	पी	278	10.00	
	23	पी	284	8.80	
	24	पी	280, 306	20.50	
8.	25	क्यू	298, 304, 312	19.40	

9.	26	आर	314, 317, 318	19.90	
	27	आर	319	20.80	
10.	28	एस	339, 346, 347	17.40	
	29	एस	348	17.73	
	30	एस	343, 344, 349, 350	35.80	
(ब) योग				258.13	
आई0डी0एफ0 नगला, डेरी					
11	31	डेरी फार्म	1, 2, 4	11.00	
	32	डेरी फार्म	18, 19, 20	20.80	
	33	डेरी फार्म	21, 22, 23	20.80	
	34	डेरी फार्म	28	4.00	
(स) योग				56.60	
कुल योग (अ + ब + स)				576.53	

मैंने निविदा की शर्तों का अध्ययन कर लिया है, मान्य है एवं विशेष तौर पर शर्तों में उल्लिखित शर्त संख्या-04 (अ ब), 06 अ, ब, 12, 14, 15, 16, 17, 19, एवं 32, 38, 39, 40, 41, 42 की सभी शर्तें मुझे मान्य है। धरोहर धनराशि ₹ बैंक डाफ्ट/बैंकर चैक सं०..... दिनांक विश्वविद्यालय फार्म लेखा हल्दी के नाम भारतीय स्टेट बैंक/यूको बैंक पन्तनगर/ हल्दी, पंजाब नेशनल बैंक पन्तनगर, नैनीताल बैंक नगला पर देय संलग्न कर दिया है।

संलग्नक: परिशिष्ट I

बैंक डाफ्ट/बैंकर चैक सं०.....

दिनांक.....

धनराशि ₹

निविदाता के हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

पिता का नाम.....

ग्राम

पो०.....

तह०.....जनपद.....

पिन.....दूरभाष.....

पैन नं० आधार कार्ड नं०

निविदा जारी करने वाले
अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

निविदादाता के हस्ताक्षर

गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय

पन्तनगर फार्म पोस्ट-हल्दी

जिला-ऊधम सिंह नगर, पिन-263146

तीन वर्षीय निविदा शर्तें

पन्तनगर विश्वविद्यालय फार्म पर लाइसेंस/शुल्क के आधार पर तीन वर्ष के लिए कृषि कार्य हेतु भूमि बाह्य ठेकेदारों/एजेन्सियों को दिये जाने हेतु निविदा/अनुबन्ध की शर्तें:-

1. निर्धारित निविदा प्रपत्र फार्म मुख्यालय, पो0 हल्दी, जिला-ऊधमसिंहनगर (उत्तराखण्ड) से ₹ 1000.00 (₹ एक हजार +जी0एस0टी0) के नकद भुगतान पर दिनांक 25.02.2019 से दिनांक 25.03.2019 तक कार्य दिवस में प्रातः 9.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। डाक द्वारा निविदा प्रपत्र किसी भी दशा में भेजना संभव नहीं होगा।
इच्छुक प्रथम पक्ष द्वारा विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.gbpuat.ac.in पर उपलब्ध निविदा प्रपत्र एवं शर्तें डाउन लोड कर प्रयोग की जा सकती है, लेकिन इस प्रकार डाउन लोड किये गये निविदा प्रपत्र के साथ निविदा प्रपत्र का मूल्य ₹ 1000.00 (₹ एक हजार +जी0एस0टी0) बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जो कि "विश्वविद्यालय फार्म लेखा" हल्दी के नाम देय हो अदा करने पर ही निविदा प्रपत्र वैध माना जायेगा। उपरोक्तानुसार प्राप्त किये गये पूर्ण निविदा प्रपत्र निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर प्रस्तुत करना पूर्णतया प्रथम पक्ष का दायित्व होगा।
2. यह है कि एक प्रथम पक्ष द्वारा एक से अधिक निविदा एक ही लॉट के लिए स्वीकार नहीं की जायेगी।
3. यह है कि किसी भी परिस्थिति में कोई सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी।
4. (अ) यह है कि प्रथम पक्ष द्वारा निविदा को सील बन्द लिफाफों में बन्द करके जो मुख्य महाप्रबन्धक, फार्म गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर, हल्दी को सम्बोधित करना होगा। निविदाओं को फार्म मुख्यालय में रक्षित पेटी में दिनांक 26.03.2019 अपरान्ह 1.00. बजे तक स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अथवा डाक/स्पीड पोस्ट से प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। नियत तिथि एवं समय के बाद अथवा डाक द्वारा विलम्ब से प्राप्त होने वाली निविदायें स्वीकार नहीं की जायेंगी। उपरोक्तानुसार प्राप्त निविदायें दिनांक 26.03.2019 को समिति द्वारा अपरान्ह 3.00 बजे उपस्थित प्रथमपक्षों के समक्ष समिति द्वारा खोली जायेंगी। एक निविदा के साथ एक प्रथम पक्ष अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि ही उपस्थित हो सकते हैं। तथा निविदा डालने का प्रमाण प्रस्तुत करने के उपरान्त ही उनको प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। निविदाओं के खोले जाने के समय वि0वि0 फार्म मुख्यालय परिसर में किसी भी प्रकार का अस्त्र/शस्त्र ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा एवं प्रथमपक्षों को अपने मोबाइल बन्द रखने होंगे।
(ब) निविदादाता को पैन नं0 एवं आधार कार्ड नं0 के साथ उसकी छायाप्रति भी संलग्न करना अनिवार्य रूप से आवश्यक होगा एवं भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक द्वारा धनराशि जमा करने हेतु निर्गत आदेशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निविदादाता द्वारा इस शर्त का पूर्णरूपेण परिपालन नहीं किया जाता है तो समिति को यह अधिकार है कि उसकी निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
5. यह है कि विश्वविद्यालय फार्म की भूमि को कृषि कार्य उपयोग करने हेतु निविदा की दरें प्रक्षेत्र की लॉटवार अलग-अलग देनी होगी। भूमि के जो लॉट बनाये गये हैं उसी के अनुसार प्रत्येक लॉट के लिए प्रति हैक्टेयर प्रति वर्ष दर दर्शानी होंगी। प्रथम पक्ष को निविदा पत्र एवं उसके साथ संलग्न नियम व शर्तों के प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर कर निविदा के साथ अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। प्रत्येक लॉट के लिए प्रथम पक्ष द्वारा प्रस्तुत उच्चतम दर पर निर्णय लॉटवार होगा। प्रथम पक्ष को अंको एवं शब्दों में हिन्दी/अंग्रेजी में स्पष्ट रूप से निविदा प्रपत्र में धनराशि अंकित करनी होगी।
6. (अ) यह है कि प्रथम पक्ष को निविदा प्रपत्र के साथ उपरोक्त अवधि की कुल धनराशि का 3 प्रतिशत धनराशि की दर से धरोहर राशि (वापसी योग्य) बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक (जो विश्वविद्यालय फार्म खाते के नाम भारतीय स्टेट बैंक, यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पन्तनगर या नैनीताल बैंक नगला तथा भारतीय स्टेट बैंक, यूको बैंक, हल्दी पर देय हो) के माध्यम से संलग्न करना अनिवार्य होगा। बिना धरोहर राशि एवं कम धरोहर राशि होने पर निविदायें निरस्त कर दी जायेंगी। निविदा स्वीकृत न होने की स्थिति में धरोहर राशि 20 दिन में वापस कर दी जायेगी। प्रथम पक्ष द्वारा जमा की गयी धरोहर राशि का समायोजन भूमि शुल्क के विरुद्ध नहीं किया जायेगा। धरोहर राशि अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के बाद भूमि या खेत खाली कर पूर्व स्थिति में कब्जा देने तथा अदेयता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त एक माह के अन्दर वापस कर दी जायेगी। धरोहर राशि पर विश्वविद्यालय फार्म द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।
(ब) यह है कि निविदादाता को प्रत्येक लॉट हेतु कुल धनराशि का 03 प्रतिशत सुरक्षा धनराशि पूर्णरूपेण जमा करना आवश्यक होगा। यदि किसी निविदादाता द्वारा सुरक्षा धनराशि कम संलग्न की जाती है तो उस निविदा को निरस्त की जायेंगी।
7. यह है कि किसी भी निविदा को बिना कारण बतायें स्वीकृत/अस्वीकृत/अंशतः स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय के कुलपति को होगा।
8. यह है कि विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय फार्म के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उनके पारिवारिक सदस्यों को निविदा प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होगा।
9. यह है कि प्रथम पक्ष निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व सम्बन्धित सहायक निदेशक (कृषि कार्य) से सम्पर्क कर सम्बन्धित खेत का निरीक्षण कर सकते हैं। बाद में भूमि की बनावट या पानी की उपलब्धता या कोई अन्य आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी।

10. यह है कि शुल्क पर दी जाने वाली भूमि का पूर्ण विवरण जैसे प्लॉट संख्या, खण्ड का नाम, क्षेत्रफल हैक्टेयर में, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न रहेगा।
11. यह है कि भूमि/खेत लाइसेंस शुल्क पर माह 01 जून 2019 से माह 31 मई 2022 तक की अवधि के लिए दिये जायेंगे।
12. यह है कि प्रथम पक्ष द्वारा निविदा पर ली गई भूमि से सम्बन्धित सिंचाई विभाग द्वारा अगर आवपाशी (Irrigation Charges) मांगी जाती है तो वह ठेकेदार द्वारा विश्वविद्यालय को अलग से देय होगी अर्थात् ठेके की धनराशि के अतिरिक्त होगी। फार्म पर उपलब्ध सिंचाई के साधनों का प्रयोग मुख्य महाप्रबन्धक फार्म की पूर्व अनुमति एवं निर्धारित शुल्क जो विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत दरों पर होगा, अलग से जमा करने पर ही उसका उपयोग किया जा सकेगा। सिंचाई की सुविधा देना तभी सम्भव होगा जब विश्वविद्यालय को अपने खेतों में सिंचाई के साधन की आवश्यकता न हो परन्तु सिंचाई के साधनों को उपलब्ध कराने हेतु विश्वविद्यालय बाध्य नहीं होगा। प्रथम पक्ष द्वारा अपने स्तर पर भूमिगत जल का उपयोग सिंचाई हेतु किये जाने की दशा में कुल लाइसेंस शुल्क का 0.5 प्रतिशत भुगतान लाइसेंस शुल्क के अतिरिक्त द्वितीय किश्त के साथ किया जाना अनिवार्य होगा।
13. यह है कि निविदा स्वीकृत हो जाने के उपरान्त ठेकेदार उस क्षेत्रफल पर जिसमें जटरोफा लगा होगा, जटरोफा के पेड़ों की लाईन से लाईन की दूरी 6 मीटर एवं पेड़ों से पेड़ों की दूरी 1 मीटर के मध्य कृषि कार्य कर सकता है।
14. यह है कि निविदा स्वीकृत होने के बाद प्रथम पक्ष को अनुबन्ध निष्पादित करने से पूर्व स्वयं के दो पासपोर्ट साइज के प्रमाणित फोटो, राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित, संबंधित जिलाधिकारी द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाणपत्र तथा अपने मूल निवास के पुलिस स्टेशन/जिलाधिकारी द्वारा निर्गत स्वयं का चरित्र प्रमाण-पत्र (जो कि छह माह से अधिक पुराना नहीं हो) जमा करना होगा। इसके अतिरिक्त मूल निवास प्रमाण-पत्र, पैन कार्ड नम्बर एवं वर्ष का आय कर जमा करने का प्रमाण आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना होगा। लाइसेंस पर दी गयी भूमि पर कार्यरत लाइसेंसी के अधीनस्थ कर्मियों/श्रमिकों का चरित्र सत्यापन प्रमाणपत्र जमा करना होगा एवं अपने सभी कर्मचारियों का पंजीकरण कराकर प्रक्षेत्र कार्यालय से पहचान पत्र प्राप्त करना होगा। बिना पहचान पत्र के किसी कर्म का फार्म प्रक्षेत्र में प्रवेश वर्जित होगा।
15. यह है कि निविदा स्वीकृत होने पर सफल निविदा दाता को सम्पूर्ण धनराशि पाँच किश्तों में निम्नांकित विवरण के अनुसार जमा करनी होगी:-
 अ- प्रथम किश्त (कुल मूल्य का 30 प्रतिशत) स्वीकृति पत्र निर्गत होने की तिथि से 15 दिन के अन्दर जमा करनी होगी।
 ब- दूसरी किश्त (कुल मूल्य का 20 प्रतिशत) 15 दिसम्बर 2019 तक जमा करनी होगी।
 स- तीसरी किश्त (कुल मूल्य का 20 प्रतिशत) 30 अप्रैल 2020 तक जमा करनी होगी।
 द- चौथी किश्त (कुल मूल्य का 15 प्रतिशत) 15 दिसम्बर 2020 तक जमा करनी होगी।
 य- पाँचवी तथा अन्तिम किश्त (कुल मूल्य का 15 प्रतिशत) 30 अप्रैल 2021 तक जमा करनी होगी।
 र- यह है कि प्रथम पक्ष किसी अपरिहार्य परिस्थिति वश एवं उत्पादित फसल के पकने की स्थिति में किसी भी किश्त का भुगतान नियत तिथि तक करने में असमर्थ रहता है तो उसके लिखित अनुरोध पर मुख्य महाप्रबन्धक फार्म द्वारा विचारोपरान्त नियत अवधि में अधिकतम एक माह की वृद्धि की जा सकती है, परन्तु इसके लिए प्रथम पक्ष को देय राशि पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से विलम्ब शुल्क का भुगतान करना होगा तथा किश्तों का भुगतान समय से न करने के फलस्वरूप देरी से किए गए भुगतान की अवधि पर भी विलम्ब शुल्क 24 प्रतिशत वार्षिक दर से वसूल किया जायेगा। किश्तों का देय विलम्ब शुल्क आगामी किश्त के धनराशि के साथ जमा करना आवश्यक होगा, यदि इसमें किसी प्रकार का विलम्ब होने की दशा में शुल्कदाता को विलम्ब शुल्क का भुगतान करना होगा।
 ल- यह है कि प्रथम पक्ष को लाइसेंस स्वीकृत होने व प्रथम किश्त का भुगतान करने के बाद सम्बन्धित भूमि पर कृषि कार्य करने से पूर्व आगामी एक किश्त की धनराशि के बराबर की धनराशि की किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत बैंक गारण्टी/एफडी0आर0 जो विश्वविद्यालय फार्म के हक में बन्धक हो/अग्रिम नकद जमा प्रस्तुत करनी होगी, जो 7 माह की अवधि अथवा आगामी फसल की बुवाई से पूर्व की अवधि, जो भी कम हो, तक प्रभावी होगी।
- व- यह है कि यदि प्रथम पक्ष उपरोक्त वर्णित शर्तों के अनुरूप निश्चित अवधि में लाइसेंस शुल्क की धनराशि जमा नहीं करता है तो विश्वविद्यालय फार्म द्वारा लाइसेंस शुल्क पर दी गयी भूमि के अनुबन्ध को समाप्त करने हेतु विधिक नोटिस दिये जाने की कार्यवाही की जायेगी एवं सम्बन्धित भूमि पर तत्काल प्रभाव से जो है वैसा है की स्थिति के साथ विश्वविद्यालय फार्म द्वारा स्वतः ही कृषि कार्य सम्पन्न करा दिया जायेगा।
16. यह है कि प्रथम पक्ष को कृषि कार्यों के लिए भूमि प्राप्त करने हेतु वित्त नियंत्रक के साथ ₹ 100.00 के नानजुडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक अनुबन्ध निष्पादित करना होगा तथा उसे नोटरी से सत्यापित कराना होगा। यह अनुबन्ध निविदा स्वीकृत होने पर प्रथम पक्ष एवं वित्त नियंत्रक, विश्वविद्यालय पन्तनगर के मध्य होगा एवं निविदा स्वीकृत होने पर देय 30 प्रतिशत धनराशि जमा करने के साथ प्रथम पक्ष के व्यय पर पूर्ण करना होगा। अनुबन्ध पूर्ण न कराने की दशा में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी व ठेका स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा प्रथम पक्ष को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।
17. यह है कि प्रथम पक्ष को भूमि की जुताई, बुवाई, सिंचाई, निराई, कटाई, सुरक्षा, चौकीदारी आदि सभी कृषि कार्यों की व्यवस्था अपने स्तर से करनी होगी। भू-खण्ड में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग निर्धारित शुल्क पर किया जा सकेगा तथा उपलब्ध सुविधाओं के अतिरिक्त किसी भी नयी सुविधा का सृजन विश्वविद्यालय फार्म द्वारा नहीं किया जायेगा। प्रथम पक्ष द्वारा लाइसेंस पर आवंटित भूमि में अथवा आस-पास विश्वविद्यालय फार्म की अन्य भूमि में किसी भी दशा में कृषि कार्य के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का व्यावसायिक कार्य यथा खोखा लगाना, जानवर पालना आदि कार्य नहीं किया जायेगा। ऐसा होने की दशा में 15 दिन का नोटिस देने के उपरान्त लाइसेंस निरस्त कर जमा सुरक्षा धनराशि एवं अन्य धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

18. यह है कि प्रथम पक्ष/लाइसेंसी अथवा उसका कोई भी कर्मचारी विश्वविद्यालय नियमों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेगा। यदि लाइसेंसी अथवा उसका कोई कर्मचारी किसी असामाजिक व गैरकानूनी कार्य में लिप्त पाया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में धरोहर राशि एवं अन्य जमा धनराशि जब्त करते हुए लाइसेंस को निरस्त कर कृषि कार्य किये जाने वाली भूमि को विश्वविद्यालय फार्म द्वारा वापस ले लिया जायेगा।
19. यह है कि यदि प्रथम पक्ष को भूमि के क्षेत्रफल सम्बन्धी कोई आपत्ति होती है तो उसके अनुरोध पर मुख्य महाप्रबन्धक फार्म द्वारा अनुबन्ध निष्पादित होने से पूर्व एक माह तक संयुक्त पैमाइश करायी जा सकती है। अनुबन्ध निष्पादित होने के बाद किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।
20. यह है कि प्रथम पक्ष/लाइसेंसी को विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय फार्म के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी/श्रमिक को सेवायोजित करने का अधिकार नहीं होगा। अनाधिकृत नियोजन की स्थिति में विश्वविद्यालय को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति लाइसेंसी को करनी होगी।
21. यह है कि लाइसेंस पर दी गयी कुल भूमि अथवा उसके किसी भाग की विश्वविद्यालय फार्म को आवश्यकता होती है तो ऐसी दशा में एक माह का लिखित नोटिस देने के बाद अनुबन्ध को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से निरस्त किया जा सकता है एवं तदनुसार भूमि शुल्क की भुगतान की गयी राशि का समायोजन करते हुए शेष राशि, यदि कोई हो, तथा खड़ी फसल के मूल्य (तकनीकी समिति के आंकलन के अनुसार) का भुगतान लाइसेंसी को कर दिया जायेगा।
22. यह है कि प्रथम पक्ष को लाइसेंस की अवधि में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्धारित रास्तों का उपयोग बिना कोई क्षति पहुँचाये करना अनिवार्य होगा। मशीनों आदि के लाने-ले जाने से रास्ते क्षतिग्रस्त होने की दशा में उनकी मरम्मत आदि का व्यय तकनीकी समिति के आंकलन के आधार पर लाइसेंसी को करना होगा। प्रथम पक्ष द्वारा फार्म के अन्दर अथवा बाउण्ड्री के बाहर नये रास्ते द्वारा कोई उत्पादन नहीं ले जाया जायेगा तथा जो रास्ते फार्म के अन्दर बनाये गये हैं उन्हीं रास्तों का प्रयोग करना होगा। यदि प्रथम पक्ष उक्त शर्त का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो प्रथम बार ₹ 5,000.00 क्षतिपूर्ति के रूप विश्वविद्यालय फार्म को भुगतान करना होगा तथा उक्त की पुनरावृत्ति किये जाने पर ₹ 10,000.00 का भुगतान क्षतिपूर्ति के रूप में करना होगा।
23. यह है कि लाइसेंस पर दी गयी भूमि पर/आस-पास यदि पहले से ही विश्वविद्यालय फार्म के श्रमिकों की झोपड़ियाँ हैं तो लाइसेंसी को उन्हें हटाने का अधिकार नहीं होगा।
24. यह है कि प्रथम पक्ष द्वारा किसी भी प्लॉट का क्षेत्रफल नहीं बदला जायेगा एवं पक्की या कच्ची सड़के काटकर कृषि योग्य भूमि में नहीं बदली जायेगी।
25. यह है कि प्रथम पक्ष को बीज एवं फसल चक्र फार्म प्रशासन से स्वीकृत कराना होगा एवं ग्रीष्मकालीन धान की फसल उत्पादन करना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। प्रथम पक्ष को कृषि उत्पादन को बेचने/परिसर से बाहर ले जाने से पूर्व फार्म प्रशासन से स्वीकृति लेनी होगी तथा संबंधित अधिकारी से गेट पास प्राप्त करना होगा।
26. यह है कि प्रथम पक्ष द्वारा प्रक्षेत्र में किसी प्रकार का स्थाई निर्माण नहीं कराया जायेगा। श्रमिकों के लिए अस्थायी झोपड़ी लाइसेंस की भूमि पर बनाने हेतु विश्वविद्यालय फार्म प्रशासन से अनुमति लेनी आवश्यक होगी। लाइसेंस अवधि समाप्त होने के बाद अस्थायी झोपड़ियों आदि को ध्वस्त करना होगा।
27. यह है कि प्रथम पक्ष को दी गई सम्पत्ति जिस स्थिति में दी जायेगी उसे अनुबन्ध समाप्ति पर, प्रक्षेत्र प्रशासन को वापस करना होगा। किसी प्रकार की क्षति होने पर उसकी प्रतिपूर्ति लाइसेंसी से की जायेगी।
28. यह कि प्रथम पक्ष को दिनांक 31.05.2022 के पश्चात् फार्म में दिये गये खेतों में प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा इसके पूर्व ही उसे अपनी फसल, उपकरण इत्यादि फार्म से उठा लेने होंगे और यदि नहीं उठाये जाते हैं तो इन पर फार्म प्रशासन का अधिकार हो जायेगा।
29. यह कि विश्वविद्यालय द्वारा कृषि कार्य हेतु प्रथम पक्ष को निर्गत लाइसेंस किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति के नाम अनुवांशिकता एवं किसी रिश्तेदारी के आधार पर हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
30. यह है कि प्रथम पक्ष द्वारा लाइसेंस पर दी गयी व अनुबन्ध में दर्शायी गयी भूमि अथवा फार्म की किसी भी भूमि अथवा उसे किसी भाग पर अपने स्वामित्व, कब्जा, आदि का दावा किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
31. यह है कि उपलब्धता के आधार पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा लाइसेंसी के अनुरोध पर विद्युत कनेक्शन हेतु निर्धारित सुरक्षा धनराशि जमा करनी होगी एवं विद्युत शुल्क के देयकों का भुगतान विद्युत विभाग में जमा करना होगा। लाइसेंसी के आवेदन पर मुख्य महाप्रबन्धक फार्म की संस्तुति के अनुसार आवश्यक विद्युत सुरक्षा धनराशि जमा करने के बाद विद्युत विभाग द्वारा विद्युत कनेक्शन दिया जा सकेगा। जमा विद्युत सुरक्षा धनराशि लाइसेंस अवधि समाप्ति पर विद्युत विभाग पन्तनगर से अदेयता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने एवं सम्बन्धित सहायक निदेशक कृषि कार्य द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने पर ही वापसी की जायेगी। विश्वविद्यालय प्रशासन किसी भी प्रकार से विद्युत कनेक्शन देने हेतु बाध्य नहीं होगा।
32. यह है कि व्यापार कर स्टाम्प ड्यूटी अथवा अन्य किसी प्रकार का टैक्स जो नियमानुसार देय होगा तो वह प्रथम पक्ष द्वारा स्वयं वहन करना होगा। लाइसेंस शुल्क पर दी गयी भूमि पर जिस वर्ष स्टाम्प शुल्क में बढ़ोतरी की जाती है तो प्रथम पक्ष द्वारा स्टाम्प शुल्क के अन्तर के समतुल्य की धनराशि अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क शीर्षक के अन्तर्गत जमा कराया जायेगा।

33. यह कि प्रथम पक्ष एवं उसके अधीनस्थ कर्मियों द्वारा विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक के साथ किये गये अनुबन्ध की समस्त शर्तों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा। अनुबन्ध की अवधि में किसी भी शर्त के उल्लंघन अथवा बदलाव की दशा में सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार धरोहर राशि एवं अन्य जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा लाइसेंस निरस्त करते हुए कृषि कार्य की जाने वाली भूमि को विश्वविद्यालय फार्म द्वारा वापस ले लिया जायेगा।
34. यह है कि यदि लाइसेंस शुल्कदाता/उसके कार्यकर्ता द्वारा आवंटित भूमि पर एवं उसके निकटतम क्षेत्रफल पर जंगली जानवरों के अवैध शिकार करने हेतु विद्युत तार के माध्यम से क्षेत्रफल पर बिजली करन्ट आदि लगाया जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी लाइसेंस शुल्कदाता की होगी तथा इस प्रकार की प्रवृत्ति के दोषी पाये जाने पर लाइसेंस शुल्क पर दी गयी भूमि की स्वीकृति अविलम्ब निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जा सकती है।
35. यह है कि प्रथम पक्ष द्वारा निविदा की वैधता समय के दौरान कोई शर्त भंग की जाती है अथवा बदलाव किया जाता है तो "जी एफ आर के 273 नियम के नोट 2 (3)" के अनुसार निविदा के साथ जमा धरोहर धनराशि जब्त की जायेगी तथा किया गया अनुबन्ध निरस्त कर भूमि वापस ले ली जायेगी।
36. यह है कि लाइसेंस पर दी गयी भूमि के संबंध में निष्पादित अनुबन्ध के आधार पर भविष्य में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निस्तारण एकल पंचाट के रूप में कुलपति, गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पन्तनगर जिला उधम सिंह नगर अथवा उनके द्वारा नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा। एकल पंचाट का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य एवं बाध्य होगा।
37. यह है कि लाइसेंस पर दी गयी भूमि के संबंध में अनुबन्ध अथवा अन्य किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में सुनवाई का क्षेत्राधिकार ऊधमसिंहनगर जनपद में निहित होगा।
38. यह है कि लाइसेंस पर दी गयी भूमि के प्रथम पक्ष को दी जाने वाली भूमि में सम्बन्धित खण्ड अधीक्षक द्वारा तैयार की गयी इन्वेन्ट्री की सूची यथा उपलब्ध पेड़, सिचाई के साधन, पम्प, विद्युत ट्रांसफार्मर एवं विद्युत पोल लाइने एवं अन्य उपकरण आदि को लाइसेंस शुल्कदाता के सुपुर्द करना होगा जिसकी सुरक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व लाइसेंस दाता का होगा एवं ठेका अनुबन्ध की समाप्ति पर लाइसेंस दाता को इन्वेन्ट्री की सूची के अनुरूप सभी पेड़ एवं उपकरण आदि वि०वि० फार्म को वापस करना होगा अन्यथा की स्थिति में होने वाली क्षतिपूर्ति लाइसेंस दाता से वसूल की जायेगी।
39. यह कि सफल निविदादाता द्वारा उत्पादित फसलों के बचे हुए अवशेषों को खेत में जलाया जाना पूर्णरूप से प्रतिबंधित होगा। यदि सफल निविदादाता द्वारा इस प्रकार का कार्य करते हुए पाया जाता है तो निर्गत स्वीकृति पत्र को निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु विश्वविद्यालय फार्म स्वतंत्र होगा एवं इस कृत कार्यवाही हेतु ऐसे लाइसेंस शुल्कदाता पर सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत धनराशि अर्धदण्ड के रूप में वसूल की जा सकती है तथा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नियम के पालन करने की पूर्ण जिम्मेदारी सफल निविदादाता की होगी।
40. यह कि सफल निविदादाता द्वारा उत्पादित फसल पर यदि किसी दैवीय आपदा, मौसम की अनिश्चितता अथवा अन्य किसी कारणों से किसी भी प्रकार की क्षति होती है तो फसल की सुरक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा। विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय फार्म द्वारा उन्हें किसी भी प्रकार की कोई क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा।
41. यह कि सफल निविदादाता को दी गयी भूमि के क्षेत्रफल में यदि विश्वविद्यालय फार्म की कोई चल/अचल सम्पत्ति आती है तो उसकी सुरक्षा आदि करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा तथा उक्त सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार की कोई क्षति होती है तो होने वाली क्षतिपूर्ति का निर्धारण सक्षम अधिकारी द्वारा नियत समिति के माध्यम से कराये जाने के उपरान्त सफल निविदादाता द्वारा उसका भुगतान विश्वविद्यालय फार्म को करना होगा। चल/अचल सम्पत्ति की इन्वेन्ट्री का विवरण सम्बन्धित सहायक निदेशक द्वारा सफल निविदादाता को भूमि का कब्जा देते समय लिखित रूप से प्राप्त करना होगा एवं लाइसेंस शुल्क की अवधि समाप्त होने पर निविदादाता को उक्त चल/अचल सम्पत्ति को पुनः सम्बन्धित सहायक निदेशक को हस्तगत कराना आवश्यक होगा।
42. यह कि सफल निविदादाता द्वारा तीन वर्ष की अवधि के दौरान हरी खाद/गोबर की खाद/जैविक खाद/कम्पोस्ट खाद आदि यथासम्भव प्रयोग करने का प्रयास सुनिश्चित किया जायेगा।

 निविदा जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

निविदादाता के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

पूरा नाम

पिता का नाम

ग्राम एवं पो०

तह० जनपद

पिन दूरभाष

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी शर्तें पढ़ ली गयी हैं तथा मुझे स्वीकार हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता